प्रेषक,

राहुल आनन्द–प्रथम,
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
पाक्सो एक्ट कोर्ट संख्या–01,
गोरखपुर।

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद, उ०प्र०।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
गोरखपुर।

विषय– पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पत्र संख्या 9691/ IV–F–82 (Pension)/Admin. (A) Dated July 16, 2024 के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्या–14/2024/सा–3–243/दस–2024/301(1)/2024 दिनांकित–28.06.2024 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के ऐसे सभी कर्मचारी, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली/ नई पेंशन योजना के अन्तर्गत आते हैं और राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या Sa–3–379/X–2005–301(9)–2003 Dated 28.03.2005 जारी होने से पहले विज्ञापित पदों/रिक्तियों पर नियुक्त किए गए हैं, उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली/ नई पेंशन योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित पुरानी पेंशन योजना से दिनांक 31.10.2024 की निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर उ०प्र० सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 1961 के तहत कवर करने की सुविधा दी गयी है तथा यह भी उल्लिखित किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के नियंत्रण में कार्यरत सभी न्यायिक अधिकारी, जिन्हें उ०प्र० न्यायिक सेवा/यू.पी.एच.जे.एस. की अधिसूचना दिनांकित 28.03.2005 जारी होने से पहले विज्ञापित रिक्तियों के सापेक्ष नियुक्त/चयनित किया गया है, के लिए पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने हेतु संख्या–20/2024/सा–3–276/दस–2024/301(1)/2024 दिनांक 11.07.2024 जारी किया गया है।

श्रीमान् जी को सादर अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी की नियुक्ति लोक सेवा आयोग उ०प्र० द्वारा जारी विज्ञापन संख्या ए–2/ई–1/2003 दिनांकित 22 नवम्बर 2003 के माध्यम से उ०प्र० न्यायिक सेवा सिविल ज़ज (जूनियर डिवीजन) के पद पर माननीय उच्च न्यायालय की विज्ञप्ति संख्या 1208/डीआर (एस)/2006 के में हुई थी। तत्पश्चात् अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त पद पर दिनांक 16.06.2006 को कार्यभार ग्रहण किया गया।

अतः श्रीमान् जी से विनम्र निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी पत्र एवं उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त शासनादेश के आलेक में प्रार्थन पत्र के साथ संलग्न विकल्प के आधार पर अधोहस्ताक्षरी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान कराने की कृपा करें।

भवदीय,
25.7.24

दिनांक-25.07.2024

(राहुल आनन्द-प्रथम)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
पाक्सो एक्ट, कोर्ट संख्या-01,
गोरखपुर।

Office of the District Judge Gorakhpur
Letter No. 1327/II Dated/Gorakhpur/ 25.07.24

FORWARDED

District Judge

संलग्नक:-

1. शासनादेश संख्या-14/2024/स-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांकित-28.06.2024 की छायाप्रति।
2. उक्त शासनादेश दिनांक 28.06.2024 के अनुक्रम में विकल्प हेतु जारी शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 की छायाप्रति।
3. उ०प्र० लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या [illegible]/ई-[illegible]/2003 दिनांकित 22 नवम्बर, 2003 की छायाप्रति।
4. माननीय उच्च न्यायालय की वेब साइट पर उपलब्ध अधोहस्ताक्षरी की प्रोफाइल की छायाप्रति।
5. माननीय उच्च न्यायालय की विज्ञप्ति संख्या 1208/डीआर (एस)/2006 की छायाप्रति शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 का संलग्नक।

विकल्प पत्र

1. नाम– राहुल आनन्द
2. वर्तमान पदनाम– अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पाक्सो एक्ट, कोर्ट संख्या-01, गोरखपुर।
3. वेतनमान–J5 (1,44,840-1,94,660)
4. वर्तमान विभाग का नाम– जिला एवं सत्र न्यायालय, गोरखपुर।
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्त के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम–नियुक्ति अनुभाग–4 उ०प्र० शासन।
6. विज्ञप्ति की तिथि–15 नवम्बर, 2003
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि–26.05.2008 (UP Government Appointment / Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/ 2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 & Hon'ble High Court Notification No- 1208/DR(S)/ 2006 dated June 13, 2006.
8. योगदान की तिथि– 16 जून, 2006
9. जन्मतिथि–04.07.1979
10. सेवानिवृत्ति की तिथि–31.07.2039

मैं राहुल आनन्द पुत्र स्व० श्री रामकिशोर शासनादेश संख्या –14/2024/सा 3-243/दस–2024/301(1)/2024 दिनांकित 28 जून 2024 के अन्तर्गत **पुरानी पैंशन योजना** में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाए।

हस्ताक्षर– [signature] 25.7.24

नाम- राहुल आनन्द (यू०पी०-06380)

पदनाम– अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
पाक्सो एक्ट, कोर्ट संख्या-01,
गोरखपुर।

घोषणा पत्र

मैं राहुल आनन्द, पदनाम अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पाक्सो एक्ट, कोर्ट संख्या-01, गोरखपुर यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या–1 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर– [signature] 25.7.24

नाम- राहुल आनन्द (यू०पी०-06380)

पदनाम– अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
पाक्सो एक्ट, कोर्ट संख्या-01,
गोरखपुर।

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री राहुल आनन्द, पदनाम अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पाक्सो एक्ट, कोर्ट संख्या–01, गोरखपुर को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **पुरानी पेंशन योजना** में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष की संस्तुति

संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 28 जून, 2024

विषय- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में विकल्प की व्यवस्था।

महोदय,

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-301(9)-2003 दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, जिनमें राज्य कर्मचारियों की वर्तमान पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, में दिनांक 1 अप्रैल, 2005 अथवा उसके पश्चात नवनियुक्त कर्मचारी नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) से आच्छादित होंगे।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

Scanned with CamScanner

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-4
संख्या-2430/दो-4-06-32(1)/2001टीसी.-1
लखनऊः दिनांकः 26 मई, 2006

विज्ञप्ति/नियुक्ति

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती हेतु आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2003 के आधार पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को वेतनमान रुपया-9000-250-10750-300-13150-350-14550 में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर चरित्र एवं पूर्ववृत्त संतोषजनक पाये जाने की शर्त/प्रतिबन्ध के साथ, अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। इनकी पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी:

क्र0सं0	अभ्यर्थी का नाम व पिता/पति का नाम सर्वश्री/सुश्री	पत्र व्यवहार का पता
1.	विकास गोयल, राजेन्द्र नाथ गोयल	मं0नं0-315 वार्डनं0-2बस्सी पथना-140412 फतेहगढ़ साहिब पंजाब
2.	तान्या सिंह, अवनिन्द्र प्रसाद सिंह	डी-28 सेक्टर जी अलीगंज लखनऊ-226024
3.	प्रशान्त मित्तल, विजय कुमार	द्वारा एल0 के0 मित्तल, 57 द्वारिकापुरी, गली नं0-6 मुजफ्फरनगर
4.	शैली राय, दिलीप कुमार राय	3के/133 नेहरु नगर गाजियाबाद-201001
5.	संजीव कुमार सिंह, जे0 पी0 सिंह	द्वारा मनोज पाठक, 24/9-बी एम जेड एच रोड न्यू कटरा, इलाहाबाद
6.	कमलेश कुमार पाठक, विक्रमादित्य पाठक	कार्यालय उपनिबंधक-2 सदर बुलन्दशहर-203001
7.	हितेन्द्र हरी, महेन्द्र प्रसाद गुप्ता	मं0नं.-1076 डा0मुखर्जी नगर दिल्ली-110009
8.	संदीप गुप्ता, डी0 आर0 गुप्ता	218 सी/एस ए जयन्तीपुर सुलेमसराय इलाहाबाद 211001
9.	चन्द्रभान सिंह, रामचरन वर्मा	सी-260/1 गली नं.-12 भजन पुरा दिल्ली-110053
10.	हर्ष अग्रवाल, गिरधारी लाल	मं0नं.-51, करोलेन विहारीपुर बरेली 243003
11.	शैलेन्द्र निगम, स्व0 डा0 ओ0पी0निगम	39/16 मेस्टन रोड कानपुर 208001

..2-

2- ऐसे कर्मचारी जिनकी भर्ती/नियुक्ति के लिए विज्ञापन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 28.03.2005 के पूर्व किया गया था और उक्त विज्ञापन के सापेक्ष नियुक्ति के उपरान्त दिनांक 01.04.2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत कवर किया गया है, उनके द्वारा पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने हेतु अभ्यावेदन निरन्तर शासन को प्राप्त होते रहे हैं।

3- केन्द्र सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-57/05/2021-P&PW(B) दिनांक 03.03.2023 द्वारा यह आदेश निर्गत किये जा चुके हैं कि केन्द्र सरकार का ऐसा कोई कर्मचारी जिसकी नियुक्ति दिनांक 01.01.2004 को अथवा उसके उपरान्त, ऐसी किसी रिक्ति के सापेक्ष हुई है जिसका विज्ञापन केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू किये जाने संबंधी अधिसूचना दिनांक 22.12.2003 के पूर्व हो चुका था, को पुरानी पेंशन योजना को चुनने का एक बार विकल्प दिया जायेगा।

4- इस संबंध में न्यायालयों के निर्णयों, केन्द्र सरकार के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03.03.2023 और विभिन्न अभ्यावेदनों/संदर्भों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिकों एवं परिषदीय विद्यालयों/शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू रही है और जिनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, के ऐसे सभी कार्मिकों को उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 28.03.2005 के पूर्व विज्ञापित/अधिसूचित किया गया था और दिनांक 01.04.2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत कवर किया गया है, "उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961" के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार विकल्प दिया जाए।

3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

Scanned with CamScanner

5- उक्त निर्णय के अनुपालन के संबंध में निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जाते हैं:-

(1). विकल्प प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.10.2024 होगी। प्रस्तुत किया गया विकल्प अंतिम तथा अपरिवर्तनीय होगा।

(2). उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन कवर करने के मामले को, उस पद, जिसके लिए विकल्प का प्रयोग किया गया है, के प्रशासकीय विभाग के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा। यदि कर्मचारी, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन कवर किए जाने के लिए शर्तों को पूरा करता है, तो इस संबंध में प्रशासकीय विभाग के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिनांक 31.03.2025 तक निर्गत कर दिये जायेंगे तथा आदेश निर्गत होने के अगले माह के वेतन से अभिदाता अंशदान तथा नियोक्ता अंशदान की कटौती बंद कर दी जायेगी।

(3). जिन कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना का वरण किया जाता है, उनके राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाते दिनांक 30.06.2025 से बन्द कर दिये जायेंगे।

(4). राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत खातों में जमा कर्मचारियों का अंशदान व्यक्ति के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते में जमा किया जायेगा।

(5). राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत खातों में जमा सरकारी अंशदान राजकोष में जमा किया जायेगा।

(6). ऐसे सभी कर्मचारी जो विकल्प का प्रयोग करने के लिए पात्र हैं, परन्तु निर्धारित तिथि तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं, वे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा कवर किए जाते रहेंगे।

6- पेंशन निधि में जमा धनराशियों के अंतरण से संबंधित लेखांकन की प्रक्रिया के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

भवदीय,

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

4/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

Scanned with CamScanner

संख्या-सा-3-243(1)/दस-2024/301(1)/2024 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1). महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(2). निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(3). निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(4). समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned with CamScanner

संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 11 जुलाई, 2024

विषय- शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के क्रम में विकल्प दिये जाने हेतु प्रारूप ।

महोदय,

शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे कार्मिकों, जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

2- संदर्भित शासनादेश दिनांक 28 जून, 2024 की व्यवस्था के क्रम में कार्मिकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुने जाने का प्रारूप इस शासनादेश के साथ संलग्न है।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उक्त निर्धारित प्रारूप पर संबंधित कार्मिक अपना विकल्प सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

नील रतन कुमार

विशेष सचिव।

संख्या-20/2024/सा-3-276(1)/दस-2024/301(1)/2024 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1). महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(2). निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(3). निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(4). समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

संजय

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या- 20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 का संलग्नक-

विकल्प पत्र

1. नाम
2. वर्तमान पदनाम
3. वेतनमान
4. वर्तमान विभाग का नाम
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम
6. विज्ञप्ति की तिथि
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि
8. योगदान की तिथि
9. जन्म तिथि
10. सेवानिवृत्ति की तिथि

मैं..पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.. शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना ( )/नवीन पेंशन योजना ( ) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम................................

घोषणा पत्र

मैं..पदनाम..यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम.................................

सम्बन्धित कर्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री/श्रीमती..पदनाम..को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना ( ) /नई पेंशन योजना ( ) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है !
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लोक सेवा आयोग, उ0प्र0

विज्ञापन संख्या-ए-2/ई-1/2003

उ.प्र. न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रारम्भिक परीक्षा, 2003

आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने की अन्तिम तिथि: 19 दिसम्बर, 2003 डाकघरों के माध्यम से आवेदन पत्र वितरण की तिथि : 22 नवम्बर, 2003

आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन उ.प्र. लोक सेवा आयोग के वेबसाइट http://uppsc.nic.in पर भी उपलब्ध है।

2. इस परीक्षा में ओ.एम.आर. आवेदन पत्र पद्धति लागू है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र विज्ञापन में अंकित सूची में दिए गए डाकघरों से क्रय कर सकते हैं। जे.पी.ओ. सिरीज के आवेदन पत्रों (सामान्य अभ्यर्थियों, उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों तथा उ.प्र. के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों हेतु) का मूल्य रू. 150/- तथा जे.पी.आर. सिरीज (उ.प्र. के अनुसूचित जाति/उ.प्र. के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु) का मूल्य रू. 90/- है। उ.प्र. के भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी आवेदन पत्र अपनी मुख्य श्रेणी के अनुसार ही क्रय करेंगे।

3. अभ्यर्थी अपने ओ.एम.आर. आवेदन पत्र की फोटो स्टेट प्रति अपने पास अवश्य रखें तथा भविष्य के पत्राचार में ओ.एम.आर. आवेदन पत्र के नम्बर का उल्लेख अवश्य करें।

उ.प्र. लोक सेवा आयोग, उ.प्र. न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) में प्रवेश हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु परिशिष्ट-1 में उल्लिखित जिलों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर मार्च, 2004 में एक प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन करेगा।

परीक्षा की तिथि तथा परीक्षा केन्द्रों का नाम अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा। परीक्षा केन्द्रों का आवंटन आयोग द्वारा स्वविवेकानुसार किया जायेगा।

2. रिक्तियाँ :- रिक्तियों की कुल संख्या-347 है जिनमें उ.प्र. के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 73, उ.प्र. के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 07, उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 94 एवं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 173 रिक्तियाँ आरक्षित हैं। शासनादेश संख्या-18/1/95-का-2/1995 टी.सी.-1/97, दिनांक 20.9.97 में दिए व्यवस्थानुसार उ.प्र. के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को दो प्रतिशत तथा उ.प्र. के भूतपूर्व सैनिकों को एक प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्रदान किया जायेगा। पद की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए उ.प्र. के समाज के विकलांगों को आरक्षण दिया जाना अनुमन्य नहीं है।

नोट :- (1) आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में इस विज्ञापन के परिशिष्ट-3 में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाय तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। (2) आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी ओ.एम.आर. आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी/उपश्रेणी अवश्य अंकित करें। (3) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट जो अधिक लाभकारी हो, दी जायेगी। (4) अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित एवं भूतपूर्व सैनिक जो उ.प्र. राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी माने जायेंगे। (5) उ.प्र. न्यायिक सेवा नियमावली 2001 के नियम-8 के अन्तर्गत उ.प्र. की महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियाँ (1) सिविल अपील याचिका सं. 15788/2001 मधुला मनावत बनाम हरेन्द्र बहादुर सिंह, (2) सिविल अपील याचिका संख्या 18822/2001 उ.प्र. राज्य बनाम हरेन्द्र बहादुर सिंह, (3) सिविल अपील याचिका संख्या 628/2001 कु. शिवानी अग्रवाल बनाम हरेन्द्र बहादुर सिंह, (4) सिविल अपील याचिका संख्या 18824/2001 उ.प्र. राज्य बनाम हरेन्द्र बहादुर सिंह एवं (5) सिविल अपील याचिका संख्या 16/2001 कु. शिवानी अग्रवाल बनाम हरेन्द्र बहादुर सिंह में मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अधीन होंगी। अपरिहार्य परिस्थितियों में रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है।

3. वेतनमान :- 9000-250-10750-300-13150-350-14650

4. शैक्षिक अर्हता :- भारत उ.प्र. में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या राज्य द्वारा इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्रदत्त भारत के किसी अन्य विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक उपाधि होना आवश्यक है अथवा (ख) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अधीन नामांकित कोई अधिवक्ता या इंग्लैण्ड या नार्दर्न आयरलैण्ड का कोई बैरिस्टर या स्काटलैण्ड के अधिवक्ताओं के संकाय का कोई सदस्य और वह न्यायालय या उसके अधीनस्थ न्यायालय में व्यवसाय करने का हकदार होना आवश्यक है। (ग) देवनागरी लिपि में हिंदी का अच्छा ज्ञान आवश्यक है।

5. आयु सीमा :- अभ्यर्थियों को 01 जुलाई, 2004 को 22 वर्ष की आयु अवश्य पूरी कर लेनी चाहिए तथा 35 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात उनका जन्म 02 जुलाई, 1969 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 1982 के बाद का नहीं होना चाहिए, परन्तु उ.प्र. के अनुसूचित जाति, उ.प्र. के अनुसूचित जनजाति एवं उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा पाँच वर्ष अधिक होगी। इसी प्रकार उ.प्र. के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों तथा उ.प्र. के भूतपूर्व सैनिकों हेतु भी आयु सीमा पाँच वर्ष अधिक होगी। उ.प्र. न्यायिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2000 के प्रावधान के अनुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01 जुलाई, 2001 एवं 01 जुलाई, 2002 को आयुसीमान्तर्गत थे वे भी इस परीक्षा हेतु पात्र होंगे।

परन्तु किसी अभ्यर्थी को अवसर प्रदान की अनुमति की संख्या अधिकतम चार होगी। अवसर की गणना इस प्रारम्भिक परीक्षा में सम्मिलित होने से की जायेगी।

शासनादेश सं. 17/2/1981-कार्मिक-2, दिनांक 28 फरवरी 1985 के प्राविधानों के अनुसार सेना के आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित, भूतपूर्व सैनिकों तथा कमीशन प्राप्त उन अधिकारियों को, जिन्होंने सेना में कम से कम पाँच वर्ष की सेवा कर ली हो, निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में अधिकतम पाँच वर्ष तक की छूट, सेवाकाल को आधार मानकर, दी जायेगी। यह छूट उन सैनिकों/अधिकारियों को भी अनुमन्य होगी जो आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अन्तिम तिथि से 18 माह की अवधि में कार्यमुक्त होने वाले हों। परन्तु निम्नलिखित को अनुमन्य नहीं होगी - (1) जो कदाचार अथवा अकुशलता के कारण बर्खास्त हुए हों, (2) जो सेना की सेवा में अशक्त समझी जाने वाली शारीरिक अयोग्यता अथवा अशक्तता के कारण सेवा मुक्त हुए हों।

शासनादेश संख्या 22/21/1983-कार्मिक-2, दिनांक 28.11.1985 के अनुसार राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त खेलों के कुशल खिलाड़ियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष अधिक होगी जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं।

6. शुल्क :- आवेदन पत्रों के विक्रय के समय उसी पर परीक्षा शुल्क, आवेदन पत्र का मूल्य एवं डाक व्यय = रू. 150 (रू. 100 + 20 + 30) एक साथ लिया जायेगा। अभ्यर्थियों को शुल्क हेतु अलग से कोई बैंक ड्राफ्ट अथवा ट्रेजरी चालान जमा नहीं करना होगा। आवेदन पत्रों का मूल्य सामान्य अभ्यर्थियों, उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों तथा उ.प्र. के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित अभ्यर्थियों हेतु रू. 150/- होगा तथा उ.प्र. के अनुसूचित जाति/उ.प्र. के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए रू. 90/- (रू. 40 + 20 + 30) होगा। उ.प्र. के भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी आवेदन पत्र अपनी मुख्य श्रेणी के अनुसार ही क्रय करेंगे। उ.प्र. के बाहर के सभी अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी का ही आवेदन पत्र क्रय करें। अनारक्षित श्रेणी का आवेदन पत्र भरने पर निरस्त कर दिया जायेगा। आवेदन पत्रों के क्रय किए जाने के पश्चात् उनका मूल्य किसी भी दशा में लौटाया नहीं जायेगा। केवल अस्वीकृत आवेदन पत्र पूर्ण रूप से लौटाए जायेंगे, परन्तु उनका मूल्य वापस नहीं होगा।

7. आवेदन कैसे करें :- आयोग द्वारा ओ.एम.आर. आवेदन पत्र निर्देशों सहित सूची में दर्शाए गए डाकघरों को मूल्य दर्शाते हुए उपलब्ध कराया जायेगा तथा अभ्यर्थी इस सूची के आधार पर डाकघर से प्राप्त कर सकेंगे। आवेदन पत्र का मूल्य जे.पी.ओ. सिरीज (सामान्य, उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग, उ.प्र. के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हेतु) रू. 150/- है तथा जे.पी.आर. सिरीज (उ.प्र. के अनुसूचित जाति/उ.प्र. के अनुसूचित जनजाति हेतु) रू. 90/- है। आवेदन पत्र भरने से पहले [illegible] आवेदन पत्र [illegible] दिया जायेगा।

[illegible] आवेदन पत्र सचिव, विज्ञापन संख्या - ए-2/ई-1/2003 लोक सेवा आयोग, उ.प्र., इलाहाबाद 211 018 को दिनांक 19 दिसम्बर, 2003 को अपराह्न 5.00 बजे तक [illegible] डाक द्वारा प्राप्त [illegible] अवश्य पहुँच जाने चाहिए। इस तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किए जायेंगे। अपने हस्त आवेदन पत्र जमा करने पर काउन्टर से रसीद अवश्य प्राप्त करें।

8. डाकघरों की सूची :- आगरा (282 001), अलीगढ़ (202 001), इलाहाबाद एच.ओ. (211 001), इलाहाबाद कचहरी (211 002), इलाहाबाद हेडपोस्ट लूकरगंज (211 004), इलाहाबाद (कटरा) 211 002, इलाहाबाद सिटी 211 003, अम्बेडकर नगर अकबरपुर-224 122, औरैया-206 122, आजमगढ़- 276 001, बदायूं-243 601, बागपत-250 609, बहराइच-271 801, बलरामपुर-271 201, बलिया-277 001, बांदा-210 001, बाराबंकी - 225 001, बरेली-243 001, बस्ती (सौली)-272 161, बिजनौर-246 701, बुलन्दशहर 203 001, चन्दौली 232 104, चित्रकूट (कर्वी)-210 205, देवरिया-274 001, एटा-207 001, इटावा-206 001, फैजाबाद-224 001, फर्रुखाबाद (फतेहगढ़)-209 625, फतेहपुर-212 601, फिरोजाबाद-283 203, गौतमबुद्धनगर (नोएडा)-201 301, गाजियाबाद-201 001, गाजीपुर-233 001, गोंडा-271 001, गोरखपुर-273 001, हमीरपुर-210 301, हरदोई-241 001, हाथरस-204 101, जालौन (उरई)-285 001, जौनपुर-222 001, झांसी-284 001, ज्योतिबाफुलेनगर (अमरोहा) 244 221, कन्नौज-209725, कानपुर जी.पी.ओ.-208 004, कानपुर कैन्ट-208 001, कानपुर नवाबगंज, कौशाम्बी (मंझनपुर)-212 207, कुशीनगर (पडरौना)-274 304, लखीमपुर खीरी-262 701, ललितपुर-284 403, लखनऊ जी.पी.ओ.-226 001, लखनऊ (चौक)-226 003, महाराजगंज-273 303, महोबा-210 427, मैनपुरी-205 001, मथुरा-281 001, मऊ-275 101, मेरठ-250 001, मिर्जापुर-231 001, मुरादाबाद-244 001, मुजफ्फरनगर-251 001, पीलीभीत-262 001, प्रतापगढ़-230 001, रायबरेली-229 001, रामपुर-244 901, सहारनपुर-247 001, संतकबीर नगर (खलीलाबाद), संत रविदास नगर (भदोही), शाहजहाँपुर-242 001, श्रावस्ती (भिनगा), सिद्धार्थनगर (टिटरी बाजार), सीतापुर- 261 001, सोनभद्र (राबर्ट्सगंज), सुल्तानपुर-228 001, उन्नाव-209 801, वाराणसी एच.क्यू. - 221 001, वाराणसी कैन्ट-221 002।

9. महत्वपूर्ण निर्देश :-

(1) एक लिफाफे में एक से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र होने अथवा एक लिफाफे में एक से अधिक विज्ञापनों के आवेदन पत्र होने अथवा अभ्यर्थी द्वारा अपने ही नाम से एक से अधिक आवेदन पत्र जमा किए जाने पर सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा। फैक्स द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

(2) किसी भी प्रकार से अपूर्ण एवं अहस्ताक्षरित आवेदन पत्र समयान्तर्गत होने के बावजूद भी सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिए जायेंगे।

(3) आयोग सभी आवेदन पत्रों की प्राप्ति स्वीकार करेगा। यदि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि के 35 दिन बाद तक कोई सूचना न प्राप्त हो तो अभ्यर्थी को अनुस्मारक भेजना चाहिए। आयोग कार्यालय में जमा किए जाने वाले आवेदन पत्रों की प्राप्ति रसीद प्रत्युत्तिकरण के रूप में दी जाती है, प्राप्ति की रसीद अवश्य प्राप्त करें।

(4) अल्पकालीन सेवा/आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी जो सेना से अवमुक्त नहीं हुए हैं, किन्तु जिनकी सैन्य सेवा में पुनर्वास के लिए पुष्टि की गई है, वे इस परीक्षा के लिए शासनादेश संख्या - 22/10/1978-का-2-85, दिनांक 30.1.85 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं :

(क) आवेदक को सेना, नौसेना, वायुसेना के सक्षम प्राधिकारी का इस आशय से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी सैन्य अवधि पुनर्वास के लिए बढ़ाई गई है तथा उनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित नहीं है।

(ख) आवेदकों को अपने आवेदन पत्र के साथ यह लिखित अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करना होगा कि आवेदित पद के लिए चुन लिए जाने पर वे अपने को सैन्य सेवा से तुरन्त अवमुक्त करा लेंगे। अल्पकालीन/आपातकालीन सेवा में कमीशन प्राप्त अधिकारियों को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी यदि- (क) उन्हें सेना से स्थायी कमीशन प्राप्त हो गया है (ख) वह स्वास्थ्य के कारण सैन्य सेवा से अवमुक्त हुआ हो (ग) वह सैन्य सेवा से कदाचार के कारण अवमुक्त हुए हों।

(5) चरित्र - सेवा में भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। संघ सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत या भारतीय या किसी राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय से निलम्बित किया गया या नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए भारतीय दण्ड संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध और कारावास से दण्डित कोई व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(6) वैवाहिक प्रास्थिति - सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो।

(7) शारीरिक स्वस्थता - किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह किसी चिकित्सा बोर्ड द्वारा कोई परीक्षा उत्तीर्ण करे।

(8) केवल वही अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) के लिए अर्ह किये जायेंगे, जो प्रारम्भिक परीक्षा के आधार पर आयोग द्वारा स्वतः निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करेंगे। उन्हें मुख्य परीक्षा हेतु आयोग द्वारा भेजे गए निर्धारित आवेदन पत्र भरने होंगे तथा मुख्य परीक्षा के लिए शुल्क भी जमा करना होगा।

(9) साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी को अपने सभी मूल प्रमाण पत्र, राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित दो फोटो तथा अन्य शैक्षिक अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे।

(10) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय सेवायोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

(11) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिए अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे स्पष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। उन्हें विज्ञापन के परिशिष्ट-2 में अंकित पाठ्यक्रम का अध्ययन सावधानी से कर लेना चाहिए। अधिप्रमाणन, अपेक्षाकृत तथा अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लंघन के कारण अस्वीकृत किए जाने वाले आवेदन पत्रों के मामले में कोई सूचना प्रदान नहीं किया जायेगा।

(12) आयोग आवेदन पत्रों की सरसरी तौर पर अभ्यर्थियों को औपबन्धिक प्रवेश दे सकता है किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाए जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र स्वीकार करने योग्य नहीं था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही अस्वीकार किया जाना चाहिए था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा यदि पद हेतु चुन लिया गया है तो भी आयोग उसकी संस्तुतियाँ वापस ले सकता है।

(13) [illegible] आयोग परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार अथवा अपने अभ्यर्थन के समर्थन में सिफारिश करने के लिए अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित है।

(14) मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) में सफल अभ्यर्थियों का व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार) में सम्मिलित होना अनिवार्य है।

(15) यदि अभ्यर्थी के पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए। आयोग से सभी पत्राचार में परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य होना चाहिए।

परिशिष्ट-1

केन्द्रों के नाम :-

क्र.सं.	जनपद	क्र.सं.	जनपद
1	आगरा	2	इलाहाबाद
3	बरेली	4	गोरखपुर
5	झाँसी	6	लखनऊ
7	मेरठ	8	वाराणसी

परिशिष्ट-2

उ.प्र. न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम

प्रश्न पत्र-प्रथम 2 घंटे अंक-150

सामान्य ज्ञान

इस प्रश्न पत्र में भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति, वर्तमान राष्ट्रीय मामले और सामाजिक सुसंगति के विषय, भारत और विश्व, भारतीय अर्थव्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रीय मामले और संस्थायें और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास पर आधारित प्रश्न सम्मिलित हो सकते हैं।

इन प्रश्न-पत्रों में प्रश्नों की प्रकृति और स्तर ऐसा होगा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट अध्ययन के उनके उत्तर दे सकने में सक्षम होगा।

प्रश्न पत्र-द्वितीय 2 घंटे अंक-300

विधि

इस प्रश्न पत्र में भारत में तथा विश्व में विशेष रूप से विधिक क्षेत्र में, हो रही प्रतिदिन की घटनाएं, अधिनियम एवं विधियों पर आधारित प्रश्न सम्मिलित हो सकते हैं।

(i) विधि शास्त्र
(ii) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन
(iii) वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय प्रकरण
(iv) भारतीय संविधान
(v) सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम
(vi) भारतीय साक्ष्य अधिनियम
(vii) भारतीय दण्ड संहिता
(viii) सिविल प्रक्रिया संहिता
(ix) अपराधिक प्रक्रिया संहिता
(x) संविदा विधि

उ.प्र. न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन)

मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) का पाठ्यक्रम

परीक्षा में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे :-

प्रश्न पत्र संख्या - 1 सामान्य ज्ञान :-

यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। "सामान्य ज्ञान" का एक प्रश्न पत्र होगा।

इस प्रश्न पत्र में भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति, वर्तमान राष्ट्रीय मामले और सामाजिक सुसंगति के विषय, भारत और विश्व भारतीय अर्थव्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रीय मामले और संस्थायें और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास पर आधारित प्रश्न सम्मिलित हो सकते हैं।

इस प्रश्न पत्र में प्रश्नों की प्रकृति और स्तर ऐसा होगा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट अध्ययन के उनके उत्तर दे सकने में सक्षम होगा।

प्रश्न पत्र संख्या - 2 भाषा :-

यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। इसमें नीचे विनिर्दिष्ट प्रारूप के चार प्रश्न सम्मिलित होंगे :-

(1)	अंग्रेजी में लिखित एक निबन्ध	60 अंक
(2)	अंग्रेजी में सार लेखन	60 अंक
(3)	हिन्दी से अंग्रेजी में परिच्छेद का अनुवाद	40 अंक
(4)	अंग्रेजी से हिन्दी में परिच्छेद का अनुवाद	40 अंक

प्रश्न पत्र संख्या - 3 विधि-1

(मौलिक विधि) यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। दिये गये प्रश्न निम्नलिखित द्वारा आच्छादित क्षेत्र तक ही सीमित होंगे :-

संविदा विधि, साझेदारी विधि, सुखाधिकार और अपकृत्य सम्बन्धी विधि, सम्पत्ति के अन्तरण से सम्बन्धित विधि जिसमें विशेषकर इस पर लागू साम्या के सिद्धान्त सम्मिलित होंगे। न्याय एवं विनिर्दिष्ट अनुतोष का विधि के विशेष संदर्भ में साम्या के सिद्धान्त, हिन्दू विधि और मुस्लिम विधि और सांविधानिक विधि।

50 अंकों के प्रश्न केवल सांविधानिक विधि के सम्बन्ध में होंगे।

प्रश्न पत्र संख्या - 4 विधि-2

(प्रक्रिया एवं साक्ष्य) यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। दिये गये प्रश्न निम्नलिखित द्वारा आच्छादित क्षेत्र तक ही सीमित होंगे :-

साक्ष्य विधि, दण्ड प्रक्रिया संहिता और अभिवचन के सिद्धान्तों को सम्मिलित करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता दिये गये प्रश्न मुख्यतया व्यावहारिक मामलों से सम्बन्धित होंगे, जैसे कि सम्बन्धित आरोपों और वाद बिन्दुओं की विरचना, गवाहों के साक्ष्य के साथ व्यवहार की विधियाँ, निर्णयों का लेखन और वादों का संचालन, किन्तु उन्हीं तक सीमित नहीं होंगे।

प्रश्न पत्र संख्या - 5 विधि-3

(दाण्डिक, राजस्व और स्थानीय विधियाँ) यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। दिये गये प्रश्न निम्नलिखित द्वारा आच्छादित क्षेत्र तक सीमित होंगे :-

भारतीय दण्ड संहिता, उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1951, उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, संयुक्त प्रान्त आबकारी एवं अधिनियम, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम 1953, उत्तर प्रदेश नगर (योजना और विकास) अधिनियम, 1973 उक्त अधिनियमों के अधीन बनाये गये नियमों के साथ।

स्थानीय विधियों के प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य होंगे। दाण्डिक विधियों से सम्बन्धित प्रश्न 50 अंकों के होंगे, जबकि राजस्व और स्थानीय विधियों के प्रश्न 150 अंकों के होंगे।

संख्या - 6 साक्षात्कार :-

साक्षात्कार 100 अंकों का होगा।

उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में नियोजन के लिए अभ्यर्थी की उपयुक्तता का परीक्षण, उसकी क्षमता, चरित्र, व्यक्तित्व और शारीरिक सौष्ठव पर सम्यक ध्यान देते हुए उसकी योग्यता के सम्बन्ध में किया जायेगा।

स्पष्टीकरण - अभ्यर्थी के लिए सामान्य ज्ञान और विधि प्रश्न पत्रों के उत्तर हिन्दी या अंग्रेजी में देने का विकल्प होगा।

टिप्पणी :- (1) साक्षात्कार में प्राप्त किये गये अंकों को लिखित प्रश्न पत्रों में प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ा जायेगा और अभ्यर्थी का स्थान दोनों के कुल योग पर निर्भर करेगा।

(2) आयोग किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए बुलाने से इन्कार करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा जिसने विधि प्रश्न पत्रों में इतने अंक प्राप्त न किए हों, जो उसके द्वारा ऐसे इन्कार को न्यायोचित ठहराये।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-4
संख्या-2430/दो-4-06-32(1)/2001टीसी.-1
लखनऊ: दिनांक: 26 मई, 2006

विज्ञप्ति/नियुक्ति

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती हेतु आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षा,2003 के आधार पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को वेतनमान रुपया-9000-250-10750-300-13150-350-14550 में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर चरित्र एवं पूर्ववृत्त संतोषजनक पाये जाने की शर्त/प्रतिबन्ध के साथ,अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। इनकी पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी:

क्र0सं0	अभ्यर्थी का नाम व पिता/पति का नाम सर्वश्री/सुश्री	पत्र व्यवहार का पता
1.	विकास गोयल, राजेन्द्र नाथ गोयल	मं0नं0-315 वार्डनं0-2बस्सी पथना-140412 फतेहगढ़ साहिब पंजाब
2.	तान्या सिंह, अवनिन्द्र प्रसाद सिंह	डी-28 सेक्टर जी अलीगंज लखनऊ-226024
3.	प्रशान्त मित्तल, विजय कुमार	द्वारा एल0 के0 मित्तल,57 द्वारिकापुरी, गली नं0-6 मुजफ्फरनगर
4.	शैली राय, दिलीप कुमार राय	3के/133 नेहरू नगर गाजियाबाद-201001
5.	संजीव कुमार सिंह, जे0 पी0 सिंह	द्वारा मनोज पाठक, 24/9-बी एम जेड एच रोड न्यू कटरा इलाहाबाद
6.	कमलेश कुमार पाठक, विक्रमादित्य पाठक	कार्यालय उपनिबंधक-2 सदर बुलन्दशहर-203001
7.	हितेन्द्र हरी, महेन्द्र प्रसाद गुप्ता	मं0.-1076 डा0मुखर्जी नगर दिल्ली-110009
8.	संदीप गुप्ता, डी0 आर0 गुप्ता	218 सी/एस ए जयन्तीपुर सुलेमसराय इलाहाबाद 211001
9.	चन्द्रभान सिंह, रामचरन वर्मा	सी-260/1 गली नं.-12 भजन पुरा दिल्ली-110053
10.	हर्ष अग्रवाल, गिरधारी लाल	मं0.-51,कारोलेन विहारीपुर बरेली 243003
11.	शैलेन्द्र निगम, स्व0 डा0 ओ0पी0निगम	39/16 मेस्टन रोड कानपुर 208001